नही कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

22– ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड एवं अभिलेख :–

सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाऊचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीद बुक, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होगें जो प्रवन्धक के पास होगा।

23–अनुशासनत्मक कार्यवाही :–

ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधिनस्थ किसी संस्था समिति के किसी प्रकार के पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही का निर्णय ट्रस्ट प्रवन्धक कार्यकारिणीय समिति करेगी।

24– वाद/विवाद (प्रतिवाद) :–

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादो का कार्यक्षेत्र जौनपुर (उ0प्र0) में रहेगा। तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरे द्वारा ट्रस्ट परदायक वाद/विवाद/ प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होगें, व्यक्तिगत नाम से नही और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद–प्रतिवाद की परैवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारियों को मनोनित कर सकता है। तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

25– परियोजनाओं की संचालन में ट्रस्ट/न्यास की व्यापकता :–

ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं परियोजनाओं का ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता हैं जो कि भारत वर्ष के किसी प्रान्त, जिले, तहसील,व ग्रामों में चलाई जायेगी।

26– पदो का सृजन :–

ट्रस्ट/न्यास आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमो के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदो का सृजन कर सकता है और पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता हैं। तथा सम्बन्धित कार्यक्रमो की प्रवन्ध समितियों गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों से मनोनित करके उन्हे कार्य सौंप सकता है।

27– ट्रस्ट/न्यास का विस्तार :– न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट अपनें कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

28–लेखा /जोखा (आडिट) :–

आर्थिक वर्ष के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास अपने लेखा जोखा को चुस्त, दुरूस्त और उसकी आडिट भी करायेगा। आवश्कता पड़ने पर खर्चे से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों /मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा। तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) की मदद भी ले सकता है।

प्रतिबन्ध –

1. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

18. सहयोगी ट्रस्टी :–ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की सहमति उपसमितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जावेगी और वे सौंपे गये कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रतिबन्द्ध होगें।

19. ट्रस्ट/न्यास के सामान्य नियम :–

1. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में चार सदस्य होगें जिनमें ट्रस्ट अध्यक्ष, ट्रस्ट उपाध्यक्ष ट्रस्ट प्रवन्धक एवं सचिव चार पदाधिकारी होगें। जो ट्रस्ट/न्यास के संचालन के लिए उत्तरदायी होगें। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवन्धक एवं अध्यक्ष होगें।
2. ट्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थिति सदस्यों के हस्ताक्षर होगें व अन्त में ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष एवं ट्रस्ट प्रवन्धक सचिव के हस्ताक्षर होगें।
3. प्रवन्धकारिणी की बैठक की सूचना सामान्य रूप से एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित सूचना दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक 24 घण्टों में बुलाया जा सकता है।
4. ट्रस्ट/न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम दो और अधिक से अधिक 15 तक होगी।
5. प्रबन्धकारिणीय समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नही है और उसको समिति में रखना तो अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है
6. निर्णय बहुमति के आधार पर होगा। समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
7. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक अधिवेशन एवं समय तक आडिट करना प्रवन्धकारिणी के समिति के निर्देशों पर होगा।
8. **ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजो में संशोधन :–**

ट्रस्ट/न्यास यदि महसूस करता है कि उसके दस्तावेज में किसी धारा में संशोधन परिर्वतन या परिवर्धन है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति से कर सकता है।

20– ट्रस्ट/न्यास का कोष :– ट्रस्ट/न्यास अपने किसी निजी या अपने अधीनस्त किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या पोस्ट आफिस में प्रवन्धकारिणी समाति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके प्रवन्धक एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से खाता खुल सकता हैं। तथा कोई भी धन इनमे से दोनों के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा आवश्यकतानुसार उन खातों में परिर्वतन कर सकता है। एवं चयनित पदाधिकारी का नाम परिर्वतन कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित होगा।

21– विवादित स्थित निर्णयः–

ट्रस्ट/न्यास में से किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति होने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेजो के मुताविक समस्त अधिकार प्राप्त होगे। और वे ट्रस्ट में सचालन के लिए स्वंय उत्तरदायी होगें। तथा प्रवन्धक ट्रस्ट की प्रवन्ध कार्यकारिणीय समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनित कर सकेगें। और ट्रस्ट/न्यास के समस्त चल अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगें। ऐसी परिस्थिति में अतिंम प्रबन्धकारिणीय समिति एवं प्रवन्धक का निर्णय मान्य होगा। किसी परिस्थिति में कोई ट्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल

अमरबहादुर यादव

न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी होगें जिन्हे अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी में से यदि कोई स्थान रिक्त होता है। तो कोई एक उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

2. सहयोगी ट्रस्टी/न्यास – जो व्यक्ति ट्रस्ट को **5000/– पॉच हजार रुपयें** सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा। वह **एक** वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्ट/न्यास होगा। इसके लिए संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के खिलाफ काम करने पर प्रवन्धकारिणी समिति द्वारा निलंवित किये जा सकते है।

3. सहयोगी ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता समाप्ति :– पागल होने दिवालिया होने मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्याग पत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगा। या ट्रस्ट/न्यास सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर प्रवन्धकारिणीय समिति द्वारा निलंबित किये जा सकते हैं। प्रवन्धक को अधिकार होगा कि कोई भी अनियमितता पाने पर ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का पद समाप्त कर उसे निष्कासित कर सकता है।

16. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. चल अचल सम्पत्ति को खरीदना, वेचना व रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना या किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना नियुक्ति करना, निष्कासन करना, व किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदिन करना या उसे निरस्त करना।
3. ट्रस्ट/न्यास के अन्तर्गत संचालिक संस्था के परियोजनाओं के संचालन मे समितियों व मुख्य समितियों को गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना उन्हे अधिकार प्राप्त कराना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
4. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियें संस्थाओं व परियोजनाओ को अलग–अलग बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हे बन्द कराना या परिर्वतन कराना।
5. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद–विवाद के पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा वार्षिक आय–व्यय का लेखा जोखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
6. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरूद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देनां।
7. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियाविन्त करना।
8. प्रवन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगें।

17. मुख्य ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेगें और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति की मदद करेगें प्रबन्धक आम सहमति से सदस्यो की संख्या घटा व बढ़ा सकती है।

अन्जुबहादुर/2139

16. प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़िता को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करना। समय–समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

17. मातृ, शिक्षा कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करना तथा प्रचार प्रसार करना।

18. ग्राम्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकलां सामाग्रियों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

19. जैविक खेती द्वारा सब्जी,फल,एवं अनाज का उत्पादन कराकर एवं फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटों (फसल मित्र) का प्रयोग करना रासायनिक विषाक्तता की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना।

20. गो वंश संरक्षण संवर्धन एवं विकास की दिशा में कृषकों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य करना।

21. सामाजिक वानिकी कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन एवं सघन वृक्षारोपण की बढ़ाव देना।

22. जगह–जगह पर बनौषधिक उद्यानों की स्थापना करा कर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्रायः) का संरक्षण एवं सर्वधन के लिए जागरूकता बढ़ाना।

23. गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतो का विकास एवं प्रचार–प्रसार करना।

24. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करना तथा न्यूज पत्र (समाचार पत्र) सम्पादित करना।

25. खेल कूद पर्यटन योग या लोकगीत लोक सस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार प्रसार करना एवं विकास करना।

26. विभिन्न प्रकार के सूचनाए जैसे– सांस्कृतिक वैज्ञानिक,आर्थिक सामाजिक इत्यादि एकत्र करना तथ्य कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

27. शासन स्तर पर से हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार प्रसार करना एवं उन दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करना।

28. अन्य सभी कार्य करना जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

29. विभिन्न कार्यो के निराकरण के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना। जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।

30. समय–समय पर गॉव मे शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगें।

31 गरीब एवं अनाथ बच्चो के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रसार होगा।

32. लोगो को नशा मुक्त मिशन से जोड़ने का कार्य करेगी।

13. ट्रस्ट/न्यास प्रवन्धकारिणी समिति – ट्रस्ट/न्यास प्रवन्धकारिणी समिति में दस्तावेजो में उल्लिखित/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगें। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेगें।

14. प्रवन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद : – ट्रस्ट/न्यास के प्रवन्धकारिणीय समिति में उत्तरदायी प्रवन्धक ट्रस्टी होगें। इस ट्रस्ट के प्रवन्धक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगें।

15 –ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता :– ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।

1– संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टीः– **श्री अमरबहादुर यादव संस्थापक/मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष**

अमरबहादुर यादव

3. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय वाचनालय, व्यायामशाला, अस्पताल तथा प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक इण्टर एंव सी0बी0 एस0सी0 बोर्ड आई0सी0एस0 बोर्ड यू0पी0 बोर्ड,महाविद्यालय अभियान्त्रिक कालेज मैडिकल कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हास्पिटल, सामाजिक शिक्षा केन्द्र प्राविधिक शिक्षा केन्द्र आवासीय विद्यालय,निराश्रित सेवा केन्द्र छात्रवास, पशु पालन, गो सेवा सदन, मुर्गी पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कृषि विज्ञान, शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना। मंदिर आदि का निर्माण करना, स्थापना करना व देख–रेख करना।

4. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीब मजदूर महिलाओं पुरूषों के शैक्षिक सामाजिक अर्थिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार सिचाई पेयजल, नशा, बन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों सम्प्रदायिकता का विकास आकस्मिक दुर्घटना में सहायता, महिला उत्पीड़न का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण। अनाथ शिक्षाओं का सरंक्षण व पोषण परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायेगें।

5. समय–समय पर मीटिंग गोष्ठी, सेमिनार अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

6. देश के होनहार प्रतिभाओं सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में एवं उत्कृष्ठ सेवाओं से ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिए नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करेगें।

7. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन प्रतिष्ठानों जिला प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मंत्रालयों व अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा दान,अनुदान प्राप्त करेगा।

8. निराश्रित एवं जरूरतमन्दों की मदद करना न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरत मन्दों को स्वरोजगार हेतु कम दर पर ऋण प्रदान करना।

9. दलित एवं अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति एवं अनु0जनजाति एस0सी0 /एस0टी0 एण्ड ओ0बी0सी0 के उत्थान के लिए कार्य करना।

10. समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं विकलांगो एवं बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए कार्य करना तथा समाज में आदर्श संस्कृति समानता भाईचारा स्थापित करने के लिए कार्य करना।

11. समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करना एवं व्यक्तियों के सांस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करना।

12. युवकों को मद्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकालकर पुनर्वास की व्यवस्था करना, तथा उन्हे स्व–रोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।

13. गरीब बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय जू0हा0स्कूल उ0मा0वि0 तथा महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालित करना।

14. सभी को स्वास्थ्य समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा कृषको को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करना एवं फल प्रशिक्षित करना कृषि आधारित उद्योग के प्रचार प्रसार एवं स्थापना हेतु उपर्युक्त पात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

अभि0 शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रमेशचन्द्र सरोज EF 908594
उपकोषागार
मछलीशहर-जौनपुर

9. ट्रस्ट/न्यास का स्वरुप– यह ट्रस्ट/न्यास एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है जो जाति धर्म वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जनहित सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए कार्य करेगा।

10. लाभग्राही – हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगो को बिना किसी भेद भाव के सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वागीण विकास के लिए यह ट्रस्ट कार्य करेगा एवं सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।

11. फादयाग्राही व्यक्ति – ट्रस्ट/न्यास द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नही होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमो के विकास में लोग कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

12. ट्रस्ट के उद्देश्य –

1. सामाजिक विकास के लिए विशेष कर इन क्षेत्रो में जैसे भारत वर्ष में निरीह और जरूरत मंद बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तो में अपने उद्देश्यों के निहित से भिन्न–भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओ का संचालन करना एंव उसकी प्रवन्ध समितियो की गठन करना तथा प्रवन्ध समितियों संस्था का संचालन करना।

2. **न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय जमालपुर पोस्ट मुँगराबादशाहपुर तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर उ0प्र0 जो श्री अमरबहादुर यादव संस्थापक/प्रबंधक/अध्यक्ष** द्वारा संचालित होगा। उसके अन्तर्गत संचालित प्राथमिक एंव जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं की कक्षाए संचालित की जायेगी।

अमरबहादुर यादव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 908216

रमेशचन्द्र सरोज
उपकोषाधिकारी उपकोषागार
मछलीशहर-जौनपुर

क्र0सं0	नाम	पिता/पत्नी का नाम	पद	पता
1	अमरबहादुर यादव	श्री मोहनलाल यादव	प्रबन्धक/संस्थापक/अध्यक्ष	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
2	समरबहादुर यादव	श्री मोहनलाल यादव	कोषाध्यक्ष	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
3	राजबहादुर यादव	श्री मोहनलाल यादव	सचिव	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
4	सर्वेश यादव	श्री तेजबहादुर यादव	उपसचिव	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर
5	लक्ष्मी यादव	श्री समरबहादुर यादव	सदस्य	जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर

5. ट्रस्ट/न्यास निर्माता/न्यासकर्ता :– श्री अमरबहादुर यादव पुत्र मोहनलाल यादव
ग्राम– जमालपुर
पोस्ट– मुँगराबादशाहपुर
जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश

6. ट्रस्ट/न्यास कार्य क्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत

7. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद :– मुख्य न्यासी

8. न्यासधारी ट्रस्टी :– न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट
कार्यालय जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर तहसील मछलीशहर, जौनपुर उ0प्र0।

अमरबहादुर यादव

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EF 908215

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रमेशचन्द्र सरोज
उपरोकड़िया उपकोषागार
मछलीशहर-जौनपुर

संस्थापक न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन के हेतु समर्पित है। न्यास/ ट्रस्ट के उद्देश्यों को संचालन कराने के लिए नियुक्ती प्रवंधन/सचिव न्यास/ ट्रस्ट पहले से अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैद्यानिक रूप से 11,000/–रू0 (ग्यारह हजार) से अपना मालिकाना अधिकार रखता है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एंव स्थाई सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम पात्र सचिव की नियुक्ति की गयी है। न्यास/ट्रस्ट औपचारिक दस्तवेज क्रियाविन्त करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तो के साथ प्रवन्धक एवं अध्यक्ष को अपना अधिकार प्रदान करती है। इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर है, आवश्यकतानुसार कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेज को गवाहो के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रेषित की जाती है।

1– 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार) रू0 न्यास/ट्रस्ट के संम्पत्ति होगी। और बाद में न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलाएगी।

2– न्यास/ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार) रू0 न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर पूँजी लगना या किसी क्षेत्र के प्राप्त की गयी धनराशि इसके अतिरिक्त दान दाताओ एंव स्वयं से संगठनो तथा किसी संस्था अथवा सोसायटी द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी। न्यास/ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की सभी शर्ते लागू होगी उपरेाक्त न्यास/ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो न्यासी/ट्रस्टी बनाये गये ।

3. ट्रस्ट/न्यास का नाम– यूआइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट अमरबहादुर यादव पुत्र मोहनलाले यादव

4. ट्रस्ट/न्यास का स्थायी पता– जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर

अमरबहादुर यादव

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषाधिकारी 10 JUL 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 481661

उपरोक्तिया उपकोषागार मछलीशहर-जौनपुर

ट्रस्ट / न्यास डीड (दस्तावेज)

न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट,

<u>जमालपुर, मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर उ0प्र0</u>

मै अमरबहादुर यादव पुत्र मोहनलाल यादव निवासी जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर उ0प्र0 का निवासी हूँ। मै न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट जमालपुर, पोस्ट मुँगराबादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जौनपुर उत्तर प्रदेश का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड करता हूँ।

1– इस लोक कल्याणकारी एवं मानवता प्रेमी ट्रस्ट का निर्माण एंव स्थापना आज दिनांक 26.07.2018 ई0 को समाज के विभिन्न उद्देश्यों जन शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य विकास, विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला, साहित्य पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

2. **ट्रस्ट न्यास की विधिक प्रतिबद्धता–**

न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस ट्रस्ट/न्यास 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होगें। जो कि ट्रस्ट एक्ट के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिगान्य है। **न्यू आइडियल चेरिटेबल ट्रस्ट** उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यास ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि रू0 11,000/– (ग्यारह हजार) रू0 से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है, कि न्यास/ट्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है। आगे यह घोषण की जाती है कि जो भी दान अनुदान चाहे कोष (फण्ड) या सम्पत्ति के रूप मे प्राप्त होगा उसका उपयोग लोग जनकल्याणकारी मानव भलाई शिक्षा स्वास्थ्य गरीबी, उन्मूलन, एंव अन्य जनकल्याणकारी कार्यो के लिए होगा। उसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित होना या बैंक खाते में विवरण दिया जायेगा।

अमरबहादुर यादव

Scanned with OKEN Scanner

2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
3. सस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी स्कूल एजूकेशन नई दिल्ली/काउसिंल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
4. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
5. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा0 विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
6. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
8. उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

नोट- पन्ना दो के सतर अट्ठारह में शब्द -प्रास का नाम के बाद ऊपर शब्द न्यू आइडियल चैरिटेबल ट्रस्ट दर्ज है

अमरबहादुर यादव

lal

हस्ताक्षर
प्रबन्धक/अध्यक्ष/संस्थापक

दिनांक– 26-7-2018

गवाह

आशीष कुमार तिवारी पुत्र प्रेम चन्द्र तिवारी ग्रा०- धौरहरा पो० बादशाहपुर जि० जौनपुर मो०न०- 8960112521

गवाह

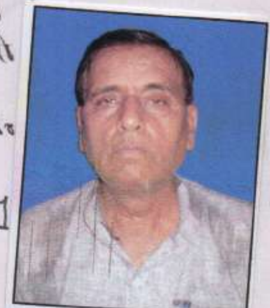

मदनमोहन मौर्य पुत्र स्व० श्री [illegible] मौर्य नि० [illegible]
[illegible]
मो०नं०. 9838044906